



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2018/भाद्र 28, 1940

No. 357]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2018/BHADRA 28, 1940

भारतीय दन्त परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

सं. डीई-97(2)-2018.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अंतर्गत भारतीय दन्त परिषद को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दन्त परिषद, केंद्र सरकार की अग्रिम स्वीकृति के साथ, भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांकित 27.06.2014 के भाग III खंड 4 में प्रकाशित एवं अधिसूचित मूल "संशोधित दन्त चिकित्सक (नैतिकता संहिता) विनियम, 2014" में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ:—

(i) इन विनियमों को संशोधित दन्त चिकित्सक (नैतिकता संहिता) (द्वितीय संशोधन) विनियमों का मसौदा, 2018 कहा जा सकता है।

(ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

2. "संशोधित दन्त चिकित्सक (नैतिकता संहिता) विनियम, 2014" में विनियम 8.9.6 के बाद एक नया विनियम 8.9.7 निम्नवत प्रविष्ट किया जाएगा:-

"8.9.7 सतत दन्त शिक्षा कार्यक्रमों के भाग के रूप में पेशेवर बैठकों में भागीदारी करके अपने पेशेवर ज्ञान को समृद्ध न बनाना।"

डॉ सव्यसाची साहा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./233/18]

फुट नोट : मूल विनियम, नामतः संशोधित दन्त चिकित्सक (नैतिकता संहिता) विनियम, 2014 का प्रकाशन 27.06.2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III खंड 4 में हुआ था।

DENTAL COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th September, 2018

No. DE-97(2)-2018.—In exercise of the powers conferred upon the Dental Council of India under Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendment to the existing Principal “Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014” published and notified in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 27.06.2014:—

1. Short title and commencement:—

(i) These Regulations may be called the Draft Revised Dentists (Code of Ethics) (2nd Amendment) Regulations, 2018.

(ii) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the “Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014”, after Regulation 8.9.6, a new regulation 8.9.7 shall be inserted as under:—

“8.9.7 Not enriching his/her professional knowledge by participating in professional meetings as part of Continuing Dental Education programs.”

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./233/18]

Foot Note : The Principal Regulations, namely, the Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014 were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 27.06.2014.